गृह मंत्रालय

मांग संख्या 55

गृह मंत्रालय का अन्य व्यय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2003-2004			संशोधित 2003-2004			बजट 2004-2005		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		4.87	749.26	754.13	4.87	715.00	719.87	6.40	750.00	756.40
पूंजी		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		**4.87**	**749.26**	**754.13**	**4.87**	**715.00**	**719.87**	**6.40**	**750.00**	**756.40**
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण										
पुनर्वास										
1. श्रीलंका से स्वदेश लौटे व्यक्तियों को राहत और पुनर्वास	2235	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10
	3601	...	27.00	27.00	...	27.00	27.00	...	27.00	27.00
	जोड़	*...*	*27.10*	*27.10*	*...*	*27.10*	*27.10*	*...*	*27.10*	*27.10*
2. जम्मू और कश्मीर के विस्थापितों को राहत और पुनर्वास	3601	...	145.00	145.00	...	145.00	145.00	...	150.00	150.00
3. अन्य देशों से स्वदेश लौटे व्यक्ति	2235	...	5.06	5.06	...	5.06	5.06	...	5.06	5.06
	3601	...	1.80	1.80	...	2.30	2.30	...	2.40	2.40
	जोड़	*...*	*6.86*	*6.86*	*...*	*7.36*	*7.36*	*...*	*7.46*	*7.46*
4. अन्य पुनर्वास कार्यक्रम	3601	...	21.01	21.01	...	41.25	41.25	...	41.00	41.00
जोड़-पुनर्वास		**...**	**199.97**	**199.97**	**...**	**220.71**	**220.71**	**...**	**225.56**	**225.56**
5. स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन तथा अन्य लाभ										
5.01 स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजनाएं	2235	...	190.04	190.04	...	260.00	260.00	...	260.00	260.00
5.02 स्वतंत्रता सेनानियों के लिए मुफ्त रेलवे पास	2235	...	45.00	45.00	...	43.85	43.85	...	54.00	54.00
जोड़		**...**	**235.04**	**235.04**	**...**	**303.85**	**303.85**	**...**	**314.00**	**314.00**
जेलें										
6. जेल प्रशासन का आधुनिकीकरण	2055	...	...	...	...	...	...	...	1.00	1.00
	3601	...	270.00	270.00	...	150.00	150.00	...	139.00	139.00
	जोड़	*...*	*270.00*	*270.00*	*...*	*150.00*	*150.00*	*...*	*140.00*	*140.00*
नागर विमानन										
7. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए आर्थिक सहायता	3053	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं										
8. जम्मू और कश्मीर में कर्जदारों के लिए कर्ज राहत योजना	3475	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50
9. दिल्ली के दंगों से प्रभावित व्यक्तियों के लिए कर्ज राहत योजना	3475	...	0.25	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25	0.25
10. अन्य मदें	2056	...	0.25	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25	0.25
	2070	...	22.01	22.01	...	18.01	18.01	...	29.01	29.01
	2075	...	0.23	0.23	...	0.13	0.13	...	0.13	0.13
	2250	...	1.01	1.01	...	0.30	0.30	...	0.30	0.30
	जोड़	*...*	*23.50*	*23.50*	*...*	*18.69*	*18.69*	*...*	*29.69*	*29.69*
11. आपदा प्रबंध										
11.1 प्राकृतिक विपदाओं के लिये राहत	2245	4.38	...	4.38	4.38	1.00	5.38	5.66	20.00	25.66
11.2 पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552	0.44	...	0.44	0.44	...	0.44	0.64	...	0.64
11.3 सहायता अनुदान	3601	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.10	...	0.10
	जोड़	*4.87*	*...*	*4.87*	*4.87*	*1.00*	*5.87*	*6.40*	*20.00*	*26.40*
कुल जोड़		***4.87***	***749.26***	***754.13***	***4.87***	***715.00***	***719.87***	***6.40***	***750.00***	***756.40***
ग. आयोजना परिव्यय*	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1. आपदा प्रबंध	12401	0.49	...	0.49	0.49	...	0.49	0.74	...	0.74
2. प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	22245	4.38	...	4.38	4.38	...	4.38	5.66	...	5.66
जोड़		**4.87**	**...**	**4.87**	**4.87**	**...**	**4.87**	**6.40**	**...**	**6.40**

पुनर्वास :

1. **श्रीलंका से स्वदेश लौटे व्यक्तियों को राहत और पुनर्वास** : भारत-श्रीलंका करार के अन्तर्गत, श्रीलंका में भारतीय मूल के लोगों को जिन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की गयी है, भारत को प्रत्यावर्तित किया जाना है तथा उन्हे राहत और पुनर्वास सहायता प्रदान की जानी है। यह बजट प्रावधान इन प्रत्यावर्तित लोगों को राहत तथा पुनर्वास सहायता उपलब्ध कराने तथा अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्यावर्तित सहकारी वित्त विकास बैंक से ऋण प्रदान करने और प्रत्यावर्तित लोगों के पुनर्वास कार्य में लगी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों दोनों को ऋण और अग्रिम राशि उपलब्धि कराने के लिए है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत रखी गयी मुख्य राशि का उपयोग श्रीलंका से आए उन शरणार्थियों को राहत सहायता उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा जो शिविरों में रह रहे हैं, साथ ही इसमें स्टाफ व्यय के लिए भी व्यवस्था की गयी है।

2. **जम्मू और कश्मीर के आप्रवासियों को राहत और पुनर्वासः** ये निधियां कश्मीर आप्रवासियों और जम्मू और कश्मीर में सीमा से आए आप्रवासियों को राहत देने, आंतकवादी हमलों/सीमा पार से हुई फायरिंग में मारे गए गांव रक्षा समितियों के सदस्यों, नागरिकों, केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक कार्मिकों के निकटतम संबंधियों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि की जम्मू और कश्मीर सरकार को की जाने वाली प्रतिपूर्ति के लिए हैं। इस निधि का उपयोग कश्मीरी आप्रवासियों के पुनर्वास, नियंत्रण रेखा के पास बसे गाँवों को हटाने, जम्मू और कश्मीर में विधवाओं और अनाथों के पुनर्वास, अन्य राहत उपायों और समर्पण नीति इत्यादि के लिए भी किया जाता है।

3. **अन्य देशों से वापस आने वाले व्यक्ति** : इसके अन्तर्गत म्यानमार, तिब्बत, भूतपूर्व पश्चिमी तथा पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के संबंध में व्यय की व्यवस्था शामिल है। यह योजना भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों के लिए भूमि-अधिग्रहण और अधिकार-पत्र वितरण से सम्बन्धित है।

4. **अन्य पुनर्वास कार्यक्रम** : इसमें 1971 के भारत-पाक युद्ध से प्रभावित व्यक्तियों को सहायता देने तथा उनके पुनर्वास और अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यो के लिए व्यवस्था शामिल है। इसमें रिआंग शरणार्थियों तथा बोडो-संथाल संघर्ष में घायल हुए पीड़ितों को राहत प्रदान करने तथा उनके पुनर्वास की भी व्यवस्था है।

5. **स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन तथा अन्य लाभ** : वर्ष 1972 में शुरू की गई स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना को समय-समय पर और उदार बनाया गया है। इस योजना के अन्तर्गत, भूतपूर्व अंडमान राजनीतिक कैदियों, स्वतंत्रता सेनानियों तथा उनके आश्रितों के लिए पेंशन प्रदान की जाती है। इसके अन्तर्गत गोआ मुक्ति आंदोलन के अन्तर्गत स्वतंत्रता सेनानियों के साथ-साथ उन्हें भी पेंशन के भुगतान की व्यवस्था है जिन्होंने भारत संघ के साथ पूर्ववर्ती हैदराबाद के निजाम की रियासत को विलय कराने के लिए लड़ाई में भाग लिया था।

6. **जेल प्रशासन का आधुनिकीकरण** : यह प्रावधान जेलों में भीड़ भाड़ कम करने, विद्यमान जेलों की मरम्मत एवं नवीकरण, सफाई एवं जलापूर्ति सुधार और जेल स्टाफ के आवास के लिए अतिरिक्त जेलों के निर्माण में कमियों को दूर करने हेतु एक नई आयोजना-भिन्न स्कीम के लिए है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा 75:25 के अनुपात में लागत साझेदारी आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई नई स्कीम के अंतर्गत राज्य-सरकारों को 5 वर्ष की अवधि के लिये सहायता अनुदान दिए जाने का प्रस्ताव है।

7. **उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में हेलिकॉप्टर सेवाओं के लिए आर्थिक सहायता** : इसमें उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में हेलिकॉप्टर सेवाएं प्रदान करने के लिए आर्थिक सहायता के भुगतान का प्रावधान किया गया है।

8. **जम्मू और कश्मीर में कर्जदारों के लिए कर्ज राहत योजना** : इसमें आर्थिक पैकेज के एक भाग के रूप में जम्मू और कश्मीर के कर्जदारों के लिए कर्ज से राहत प्रदान करने की व्यवस्था है। इस योजना के अन्तर्गत, व्यापार, पर्यटन, परिवहन और लघु उद्योग में लगे सभी कर्जदारों के पक्ष में 30 जून, 1996 की स्थिति के अनुसार 50,000 रु. तक अथवा इससे कम राशि के मूल राशि के बकाया ऋणों को बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

9. **दिल्ली के दंगों से प्रभावित व्यक्तियों के लिए कर्ज राहत योजनाः** इसमें आर्थिक पैकेज के एक भाग के रुप में 1984 के दंगों से प्रभावित व्यक्तियों के लिए कर्ज से राहत प्रदान करने की व्यवस्था शामिल है। इस योजना के अन्तर्गत, सभी व्यक्तियों के ऋण प्रदान किए जाने के समय के 50,000 रु. राशि सहित और इसी राशि तक के बकाया ऋणों को बकाया ब्याज सहित बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

10. **अन्य मदें** : इसमें जागीरों के एवज में पेंशन, राष्ट्रीय एकता योजना, उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में सिविल कार्रवाई कार्यक्रम के लिए रक्षा मंत्रालय को व्यय की प्रतिपूर्ति करने, राष्ट्रीय पहचान पत्र योजना, उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में विज्ञापन तथा प्रचार आदि की व्यवस्था है।

11. **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधः** प्राकृतिक विपदाओं और मानव जनित विपदाओं से निपटने के लिये साहित्य प्रकाशन/प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन हेतु विभिन्न संस्थानों/विश्वविद्यालयों को सहायता अनुदान प्रदान करने की दृष्टि से यह प्रावधान राष्ट्रीय आपदा प्रबंध कार्यक्रमों पर व्यय के लिए है। इसके अंतर्गत मानव संसाधन विकास, अनुसंधान एवं परामर्शी सेवायें, अध्ययन, प्रलेखीकरण और आपदा प्रबंध के क्षेत्र में क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों निर्माण क्रियाकलापों के लिये सहायता भी शामिल है।